<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 113/2019

1 लक्ष्मी कंवर पत्नी लक्ष्मण सिंह आयु 62 वर्ष।
2 जयपाल पुत्र लक्ष्मण सिंह आयु 32 वर्ष।
3 अशोक सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह आयु 36 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासीगण दुजोद तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 धर्मपाल पुत्र लक्ष्मण सिंह।
2 अमर कंवर बेवा ज्ञानसिंह।
3 महेन्द्र सिंह पुत्र ज्ञानसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण दुजोद तहसील धोद जिला सीकर।
4 सुनिता पत्नी कमल अग्रवाल।
5 कमल किशोर पटवारी पुत्र सांवरमल पटवारी।
6 कमल किशोर पटवारी पुत्र सांवरमल पटवारी।
7 दुर्गा देवी पत्नी सांवरमल पटवारी समस्त जाति महाजन पटवारी निवासीगण वार्ड न. 29 राधाकिशनपुरा सीकर तहसील व जिला सीकर।
8 पवन बंसल पुत्र प्रभुदयाल जाति महाजन निवासी देवीपुरा कोठी सीकर तहसील व जिला सीकर।
9 नगर सुधार न्यास जरिये सचिव सीकर तहसील व जिला सीकर।
10 श्रीमान उप पंजियक, धोद जिला सीकर।
11 राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार धोद जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व निर्णय न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी धोद दिनांक 23.09.2019 मुकदमा बउनवानी
लक्ष्मीकंवर बनाम धर्मपाल सिंह आदि प्रस्तुत वाद को
अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज
किया गया है के विरूद्व अपील

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नानुराम, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 18.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा प्रकरण संख्या 8/2019 में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। प्रकरण में अपील प्रस्तुत करते ही रेस्पोडेंट की और से प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की गई इस पर उभयपक्ष को सुना गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता आपत्तिकर्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रश्नगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 925 रकबा 1.31 हैक्टेयर जो कि पूर्व में सहखातेदारी की भूमि थी, जिसका आपसी सहमती से बंटवारा तहसीलदार सीकर के समक्ष दिनांक 07.01.2008 को हो गया था, जिसके तहत नामान्तकरण संख्या 958 दिनांक 15.01.2008 को तस्दीक होकर खाता अलग–अलग हो गया, तत्पश्चात उक्त भूमि भूमि सुधार न्यास सीकर के नाम से नामान्तकरण संख्या 1703 दिनांक 30.07.2014 को हो गई है जिसकी अपील एल.आर. एक्ट की धारा 90ए (9) के तहत संभागीय आयुक्त के यहां की जाने का क्षेत्राधिकार है प्रस्तुत वाद जो सहमति के आधार पर बंटवारा हुआ है जो आदेश 23 नियम 3 क सीपीसी के तहत एवं धारा 96(3) सीपीसी

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

के तहत अपील की मनाही है। अत प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील इस स्टेज पर ही खारिज फरमायी जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब कर उभयपक्ष को गुणावगुण पर सुनकर निस्तारण किया जावें। तकनिकी बिन्दु पर अपील का निस्तारण नही किया जा सकता है। आपत्तिकर्ता की आपत्ति इस स्तर पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रश्नगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 925 रकबा 1.31 हैक्टेयर जो कि पूर्व में सहखातेदारी की भूमि थी, जिसका आपसी सहमती से बंटवारा तहसीलदार सीकर के समक्ष दिनांक 07.01.2008 को हो गया था, जिसके तहत नामान्तकरण संख्या 958 दिनांक 15.01.2008 को तस्दीक होकर खाता अलग–अलग हो गया, तत्पश्चात उक्त भूमि भूमि सुधार न्यास सीकर के नाम से नामान्तकरण संख्या 1703 दिनांक 30.07.2014 को हो गई है जिसकी अपील एल.आर. एक्ट की धारा 90ए (9) के तहत संभागीय आयुक्त के यहां की जाने का क्षेत्राधिकार है प्रस्तुत वाद में सहमति के आधार पर बंटवारा हुआ है ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील आदेश 23 नियम 3 क सीपीसी के तहत एवं धारा 96(3) सीपीसी के तहत पोषणीय नही होने से खारिज की जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर